



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-12/2022-23/

दिनांक:-

✓ प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

संदर्भ:- (I) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड "महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 का पत्र क्रमांक पी.ए./पेंशन/मंहगाई राहत/उत्तराखण्ड/2022-23/07/8896 दिनांक 03.04.2023

(II) उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा.नि.-वे.आ.) अनुभाग-7, संख्या:-74729/XXVII (7)/E-22807/2022 देहरादून दिनांक 08.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-12/2022-23/167

दिनांक:- 18.4.23

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून-248195 के पत्र दिनांक 03.04.2023 के संबंध में सूचनार्थ।

-sd-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

SP-899 698539

58667

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक:-पी.ए./पेंशन/महगाईराहत/उत्तराखण्ड/2022-23-67

दिनांक: 03/04/2023

सेवा में,

000348

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गोवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ देहरादून-248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 22-23/०७

दिनांक: ०३/04/ 2023

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

संलग्न सन्दर्भ:- सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 74729/XXVII(7)/E/22807/2022 देहरादून, दिनांक: 08.11.2022।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएँ।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

अमर सिंह

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या-74729/XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: 08 नवम्बर, 2022

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No 74729 / XXVII(7)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 08 November, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Office Memorandum
Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-37010 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 31 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमिit करते हुए दिनांक 01-07-2022 से 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2022 @ 38% instead of 34 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 37010/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 31 May, 2022 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, पथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 08-11-2022 16:21:07

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

संख्या-74728 XXVII(7)/E-22807/2022, तदुद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

74729
No. XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.
Copy forwarded to following for information
and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम
विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम
की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए
निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत
अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले
सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की
सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,
देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस
आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा
प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड,
डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को
इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस
शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त
अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने
का कष्ट करें।

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaryies/ Principal
Secretaries/Secretaries. Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary. Public
Industry Development Department/Urban
Development, Govt. of Uttarakhand with the
request that the admisibility of dearness relief
may be permitted itself in the view of financial
status of the bodies/undertaking and there is no
need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate,
Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices,
Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand,
Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun
along with 50 extra copies with the request that
account officers of other states be also
informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari,
Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi
Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/
Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee
with request that 50 copies of this G.O. be got
printed and sent to the Finance Section-7,
Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

By Order,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.